

पत्रांक:-

1271 / 18mg

दिनांक: 22/6/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:-

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के किमी 11 में नावली नामक स्थान से लोशजानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/34350/2018)

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2078/FP/UK/ROAD/39655/2019 दिनांक 06.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/०६/८६/२०२०/एफ०सी०/२१६८ दिनांक 27.01.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:-

- 1- शर्त संख्या-1, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
- 2- शर्त संख्या-2, के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि(नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।
- 3- शर्त संख्या-3, प्रतिपूरक वनीकरण:- (क) खण्ड द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1872 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार) रू० 6,31,208.00 (छः लाख इक्तीस हजार दो सौ आठ मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 751/कैश दिनांक 31.03.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर० टी०जी०एस०चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-01 से 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) इस बिन्दु से संबंधित वांछित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

- 4- शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-03)
- 5- शर्त संख्या-05 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि०पी०(सि०) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी०(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू० 6,14,952.00 (रू० छः लाख चौदह हजार नौ सौ बावन मात्र) की धनराशि 0.936 हैक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन०पी०बी० आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-03)

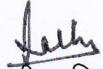
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक-04)
- 6- शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक-05)
- 7- शर्त संख्या-07 के अनुपालन में अवगत कराया जाना है कि प्रस्तावित क्षेत्र की density जोकि आनलाईन पार्ट 2 के पैरा 4 में 0.1 अंकित है तथा एन0पी0वी0 सीट में 0.3 अंकित की गयी है जिसका सत्यापन आपके स्तर से किया जाना है।
- 8- शर्त संख्या-08, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-03)
- 9- शर्त संख्या-09 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
- 10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
- 12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।
- 13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
- 14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
- 15- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- 16- शर्त संख्या-16 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
- 17- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।
- 18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

- 19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।
- 20- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रतयावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 21- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।
- 22- शर्त संख्या-22 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी मान्य है।
- 23- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण पूर्व प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
- 24- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।
- 25- शर्त संख्या-25 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। तीन-तीन हार्ड प्रतियां कुल 5 पृष्ठ।

भवदीय


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

पत्रांक:- 1571 18mg

दिनांक:- 22/6/2021

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल



कायालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

संलग्नक-1



☎ :05942 -235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnaainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांक:-
सेवा में,

751 / 421

दिनांक:- 31/03/2021

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
मल्लीताल, नैनीताल।

विषय:- बैंकर्स चैक संख्या 179307 दिनांक 30/03/2021 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूड़ा-क्वारब मोटर मार्ग के कि०मी० 11 में नावली नामक स्थान से लोशजानी तक मोटर मार्ग निर्माण में एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रु० 12,46,160.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उसका खाता अंकित है, Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैंकर्स चैक सं० 179307 दिनांक 30/03/2021 रु० 12,46,160.00 मात्र (बारह लाख छियालीस हजार एक सौ साठ) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्न:- 1- बैंकर्स चैक संख्या 179307 दिनांक 30/03/2021 रु० 12,46,160.00 मूल में।
2- ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान - 03 प्रति में।

भवदीय

[Signature]

अभिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

o/c

Nawle MIR.

3235-2

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 08-03-2021	
Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6139655996
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	1246160/-
Amount in Words :Twelve Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Sixty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896139655996 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 08-03-2021	
Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6139655996
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/86/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction division, P.W.D. Nainital Nainital
Amount(in Rs)	1246160/-
Amount in Words :Twelve Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Sixty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896139655996 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print

Back

Las
EE
Sr. Div. Asst. Officer
CD

Las
Executive Engineer
Construction Div. P. W. D.
NAINITAL.



21/07/2015 - 3

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/39655/2019 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39655/2019) Construction of approach road from Nawali from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwalkhan-Pura-Qurab motor road to Losgavani in Ramgarh Block of District Nainital	ROAD3965520199966139655996	27 Jan 2021	CA: 631208/-, Addl CA: 0/-, PCA: 0/-, CAT: 0/-, Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-, NPV: 614952/-, Other Charges: 0/-, Other Charges1: 0/-, Other Charges2: 0/-, Other Charges3: 0/-, Total: 1246160/-		Fund Demand Verified by 07 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 08 Mar 2021 On Transaction Date 31 Mar 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/21126124712124CHF3dmondnawali.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD396552019996)
2	FP/UK/ROAD/42523/2019 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42523/2019) Construction of motor road from Matiyali to Prachin Mandir Kallro through Km. 10 of Mauna-Lweshal- Kalepatal and Prathmik Pathshala in Ramgarh Block under Nainital district.	ROAD4252320198286142523828	20 Oct 2020	CA: 606931/-, Addl CA: 0/-, PCA: 0/-, CAT: 0/-, Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-, NPV: 760500/-, Other Charges: 0/-, Other Charges1: 0/-, Other Charges2: 0/-, Other Charges3: 0/-, Total: 1367431/-		Fund Demand Verified by 09 Feb 2021 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 08 Mar 2021 On Transaction Date 31 Mar 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/1112812321212EAY32dmonadnotpracheenkallro.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD425232019828)
3	FP/UK/ROAD/46607/2020 (./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/46607/2020) New construction of motor road from Panglatara to Khalar under developmental Betalghat of Vidhan Sabha constituency of Nainital district under state plan	ROAD4660720206036146607603	18 Feb 2021	CA: 1153169/-, Addl CA: 0/-, PCA: 0/-, CAT: 0/-, Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-, NPV: 1444950/-, Other Charges: 0/-, Other Charges1: 0/-, Other Charges2: 0/-, Other Charges3: 0/-, Total: 2598119/-		Fund Demand Verified by 09 Mar 2021 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 15 Mar 2021 On Transaction Date 31 Mar 2021	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/3118123812193111cdemandhot.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD466072020603)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

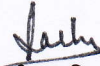
परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूड़ा-क्वारव मोटर मार्ग के किमी 11 में नावली नामक स्थान से लोश्जानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।



अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।

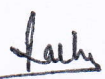
संलग्नक-5

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड रामगढ में लक्ष्मीखान-नथुवाखान-प्यूडा-क्वारव मोटर मार्ग के किमी 11 में नावली नामक स्थान से लोशज्ञानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.936 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

बचन बद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेंडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।